



# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 6613 / NR-4/3/10

भोपाल, दिनांक

03/07/10  
/ 06/10

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र.  
जिला :—समस्त (म.प्र.)

विषय:— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सरपंच/सचिव उपर्यंत्रियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सरपंच/सचिव/उपर्यंत्रियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में मुख्यालय स्तर पर अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। समस्त भुगतान नियमानुसार "एकाउन्ट पेयी"(Account Payee) चैक के द्वारा बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए।

अतः तदनुसार कार्यवाही करते हुए जिले में हो रही अनियमितताओं को नियंत्रित कर कृपया मुख्यालय परिषद् को अवगत करावें।

12/2/10  
(शिव शेखर शुक्ला)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्